भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 69

दिनांक 19.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार को आबंटित की गई धनराशि

69# श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'हर घर, नल का जल' योजना के अंतर्गत बिहार राज्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) बिहार के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में गंगा नदी के आस-पास का एक बड़ा भाग आर्सेनिक से संदूषित है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में विशेष उपबंध लागू करेगी?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन (हर घर जल) के तहत बिहार राज्य को 6,608.25 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

(ख): जैसा कि सूचित किया गया है, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक प्रत्येक वैयक्तिगत परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ): राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक संदूषण वाली बसावटों की जिला-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल के जरिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। जेजेएम के तहत जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित बसावटें शामिल हैं।

चूंकि, सुरक्षित पेयजल स्रोत पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और शुरूआत करने में संभवतः समय लगता है अतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसी बसावटों में समुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) संस्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनके पीने और खाना बनाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान निधियां आबंटित करते समय पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषणों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारिता महत्व दिया जाता है।

बिहार राज्य की 1,077 आर्सेनिक प्रभावित तथा 1,043 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों सहित देश की 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की गई थी जिसे अब जल जीवन मिशन के तहत शामिल कर लिया गया है। जैसा कि बिहार राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 13.07.2021 की स्थिति के अनुसार 14 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को छोड़कर, एनडब्ल्यूक्यूएसएम के तहत चिन्हित सभी 1,017 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इन सभी परियोजनाओं को दिनांक 31.03.2021 तक पूरा किए जाने की योजना बनाई गई थी, किन्तु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन/अवरोध के चलते चल रही/अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

****

अनुबंध

दिनांक 19.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक संदूषण वाली बसावटों की संख्या

(13.07.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	**जिलों के नाम**	**आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की संख्या**	**कुल आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में से पीने और खाना पकाने का उद्देश्य के लिए 8-10 एलपीसीडी की दर से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सीडब्ल्यूपीपी के अंतर्गत शामिल बसावटों की संख्या**	**शेष**
1.	बेगूसराय	9	2	7
2.	भागलपुर	6	0	6
3.	दरभंगा	6	0	6
4.	पटना	1	0	1
5.	वैशाली	2	0	2
	कुल	**24**	2	22

स्रोत:जेजेएम-आईएमआईएस